IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
मूल्यांकन अनुभाग
104 महात्मा गाँधी मार्ग,लखनऊ
www.upavp.in
gratuity@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

संख्या – 1959 /मू० अनु० /   दिनाँक 12.03.2020

कार्यालय आदेश

माननीय परिषद की 249 वीं बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद सं0 249/59 पर परिषद योजनाओं की विकसित भूमि दरों को दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक तथा बहुमंजिलें (चार मंजिला से अधिक) भवनों हेतु दिनांक 31.03.2020 के बाद निर्माण लागत के पुनर्मूल्यांकन को दिनांक 31.03.2021 तक स्थिर रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु विकसित भूमि दरें पूर्व में निर्गत आदेश सं0 968/मू0 अनु0 (लेखा)–भूमिदर 2019–20 दिनांक 05.09.2019 के अनुरुप रखे जाने एवं भवनों हेतु दिनांक 31.03.2020 के पश्चात निर्माण लागत को दिनांक 31.03.2021 तक स्थिर रखे जाने के एतद्द्वारा आदेश दिये जाते है। अगर किसी विशिष्ट परियोजना यथा मेट्रो, आर0आर0टी0एस0 आदि के लिए धन को अन्य परियोजना पर योजित करना पड़ा तो उस सीमा तक कुछ सम्पत्तियों की दर का पुनर्निर्धारण किया जायेगा और जिन सम्पत्तियों की दर का पुनर्निर्धारण किया जायेगा उन सम्पत्तियों का विनिश्चय करने हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियन्ता, मुख्य वास्तुविद नियोजक एवं अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0) सदस्य होंगे।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र वर्मा)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठ संख्या 1959 **/उपरोक्त/ तद्दिनांक** 12-3-2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
3. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
4. निदेशक, ग्लोबल सेल/गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. समस्त वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
8. समस्त संयुक्त/उप आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
10. समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
11. निजी सचिव, आवास आयुक्त कैम्प को महोदय के अवलोकनार्थ।

वित्त नियन्त्रक